राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 173/16

कैलाश नारायण व्यास **–अपीलार्थी**

बनाम

मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग व अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुति दिनांक :– 19.05.2016

आदेश दिनांक :– 22.11.2023

उपस्थिति –

अपीलार्थी की ओर से :– श्री सी एस बिस्सा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से :– श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष – चेतन देवड़ा, सदस्य

असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने अपनी अपील सुग्राह्यता स्वीकार करने एवं इस आशय की गुहार की कि जनस्वास्थ अभियांत्रिक विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 01.09.1980 अर्द्धस्थायी घोषित किया और उसे चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01. 1992 की पालना में दिया गया। दिनांक 25.01.1992 से लाभ देय से पूर्व उसे पात्र नहीं माना गया (अनुलग्नक–1)एवं उसे वर्ष 2005 को मात्र प्रथम चयनित वेतनमान वित्त विभाग के आदेश दिनांक 17.02.1998 के अनुसार दिया गया। अपीलार्थी को जब दिनांक 01.09.1980 से पात्र स्वीकार जाने व उसे प्रथम चयनित वेतनमान का परिलाभ हेतु स्वीकार किया जाकर प्रथम चयनित वेतनमान तद्अनुसार देते हुए प्रथम चयनित वेतनमान के आदेश की संशोधित/परिवर्तित किया जाये एवं अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतन मान हेतु उसे अर्द्ध स्थायी किये जाने की दिनांक 01.09.1980 से गणना की जाये।
2. अपीलार्थी ने अंकित किया कि दिनांक 01.09.1980 को चयनित वेतनमान हेतु दिनाँक 15.12.2010 के आदेश से पे – स्केल 4000–6000 में 4800 पर 29.08.05 से फिक्स कर प्रथम चयनित

वेतन मान 17.02.1998 से देय किया गया एवं तद्अनुसार सेवापुस्तिका में अंकन किया गया जबकि वह प्रथम चयनित वेतनमान हेतु दिनांक 01.09.1980 से अर्हता रखता था जो नहीं दी जाकर वर्ष 2005 में प्रथम चयनित वेतनमान दिया गया, जो उचित नहीं है।

3. अपीलार्थी का यह भी कथन किया किया उसकी प्रथम चयनित वेतनमान तिथि गणना अर्धस्थायी करने की। तिथी 01.09.1980 से गणना होने पर वह अपनी सेवा के दण्ड काल समय जो दिनांक 24.6.1994 से दिनांक 28.08.2000 को निकाल कर तथा पाँच वेतन वृद्धियों के निषेध समय के 5 वर्ष 29.03. 2001 से 29.3.2005 की अवधि के पश्चात शेष सेवा अवधि के 18 वर्ष पूर्ण करता है, जो उसे द्वितीय चयनित मान अवधि का पात्र बनाता है, वह भी उसे प्रदत्त नहीं किया गया।
4. अपीलार्थी 30.06.2011 में सेवा निवृत्ति पश्चात इसे दुरस्ती का करने हेतु विभाग को नोटिस प्रदान किया जिसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।
5. अतः प्रार्थी की सेवा प्रथम चयनित वेतनमान अवधि की गणना दिनांक 01.09.1980 से करते हुए उसे अक्षम द्वितिय चयनित वेतनमान का परिलाभ तथा पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाये।
6. राजकीय अधिवक्ता ने अपने प्रत्युत्तर एवं बहस में अकित किया कि यद्यपि अपीलार्थी दिनांक 01.09.1980 को अर्ध स्थायी किया गया था परन्तु उस पर गबन के आरोप के कारण निलम्बित किया गया एवं अपने सेवा से वह दिनांक 24.06.1994 से दिनांक 20.08.2000 तक अनुपस्थित रहने से उसके सेवा काल की गणना नहीं की गयी एवं प्रमोशन तथा चयनित वेतनमान का लाभ सेवा प्रदर्शन स्तर (Performance) के आधार पर है, इस कारण अपीलार्थी इनका पात्र नहीं है एवं 9 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण होने पर अपीलार्थी को दिनांक 29.08.2005 को चयनित वेतन लाभ प्रदत्त किया जा चुका है एवं निलम्बन कालावधि में अपीलार्थी किसी लाभ का हकदार नहीं था, अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।
7. हमने पत्रावली का अधोपांत ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । तथ्यों पर गहन चिंतन मनन करने परांत उपलब्ध दस्तावेजों का अनुशीलन

किया। इससे जाहिर है कि अपीलार्थी को 9 वर्ष का प्रथम चयनित वेतनमान 15.12.2010 के अनुसार दिया जा चुका है। एवं तद् नुसार वेतन स्वीकृत कर वेतन वृद्धि विधि आदि निर्धारित की गयी। एवं अपीलार्थी इसके पश्चात से इससे जुड़े समस्त लाभ ग्रहण करता आया है, एवं सेवा निवृति के लाभ भी निर्बाध प्राप्त किये हैं। लम्बे समय के अंतराल के पश्चात अपीलार्थी द्वारा अपनी देय परिलाभों की तिथियों की गणना का उजर कभी भी अपने सेवा काल में तथा लम्बे समयान्तराल के उपरांत कभी भी नहीं किया और इसे स्वीकारा जाकर समस्त लाभ अर्जित किये इस अनावश्यक विलम्ब के उजर का कोई कारण ही प्रदर्शित नहीं किया। अपीलार्थी ने कभी भी प्रत्यर्थी विभाग से उसकी सेवा की गणना अर्थस्थायी किये जाने की तिथि से लाभ दिये जाने की गुहार लम्बे अवधि तक नहीं दिये जाने एवं दिये गये लाभो के आदेशों को चुनौती नहीं दी एवं उनके स्वीकार करते हुए उन परिलाभो को प्राप्त करता रहा है। एवं विभागीय कार्यवाही को स्वीकार किया है। सेवानिवृति के पश्चात अब विलम्ब से अपील किया जाना उचित नहीं है। इसके अलावा अपीलार्थी सेवाकाल राजकीय राशि के गबन, निलम्बन एवं परिणाम स्वरूप अनेक दण्डो से दण्डनीय रहा है, जो संतोषपूर्ण सेवा की श्रेणी से परे है। इसके अलावा यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी अपनी दोषयुक्त सेवा से उक्त अवधि की सेवाकाल से जुड़े लाभ प्राप्त करने का अधिकारिता नहीं रखता। साथ ही नियमानुसार समस्त देय लाभ अपीलार्थी को प्रदान किये जा चुके हैं।

8. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह अपील बलहीन होने से खारिज की जाती है।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकमर दाखिल दफ्तर हो।

(असलम मेहर) (चेतनराम देवड़ा)

सदस्य सदस्य